प्रेस नोट थाना पुवायाँ
जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक : 27.03.2026

"थाना पुवायाँ पुलिस टीम द्वारा फर्जी पैरामेडिकल कॉलेज संचालित कर छात्रों को कूटरचित अंकतालिकाएँ प्रदान करने वाले वांछित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।"

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहांपुर के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदया के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी पुवायाँ महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अभियान अपराध की रोकथाम, गिरफ्तारी वाँछित अभियुक्त के क्रम में थाना पुवायाँ पुलिस को बडी सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 13.12.2024 को वादी मुकदमा श्री कमलदीप शुक्ला पुत्र प्रमोद कुमार निवासी कस्बा व थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर के प्रार्थना पत्र के आधार पर एवं मा0 न्यायालय के आदेशानुसार धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 के अंतर्गत अभियुक्तगण 1. बी0के0 सिंह उर्फ बालकिशोर सिंह पुत्र रामनारायण 2. संतोष पाठक पुत्र नामालूम 3. श्याम शेरवानी पुत्र नामालूम निवासीगण सेक्टर-5 ई-25/24 वृंदावन कॉलोनी तेलीबाग थाना पीजीआई जनपद लखनऊ 4. धनंजय कुमार पुत्र नामालूम निवासी जनपद मऊ तथा 5. रामहरि यादव पुत्र रामकमल यादव निवासी एम पराग रोड विश्वनाथ एकेडमी सेक्टर एमएलडीए कॉलोनी लखनऊ के विरुद्ध वादी के साथ धोखाधड़ी कर उसे वी0के0 सिंह पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज, बरेली मोड़, जनपद शाहजहाँपुर में मैनेजर पद पर ज्वाइनिंग कराने तथा विद्यार्थियों के फर्जी एडमिशन कराने के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 862/24 धारा 420 भादवि पंजीकृत किया गया था। विवेचनात्मक कार्यवाही एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियोग में धारा 467/468/471/120बी भादवि की वृद्धि की गई। प्रकरण में अभियुक्त बी0के0 सिंह उर्फ बालकिशोर सिंह ठाकुर पुत्र श्री रामनारायण सिंह निवासी ग्राम रावतपार थाना लार जनपद देवरिया (हाल पता उपरोक्त लखनऊ) को पूर्व में दिनांक 13.09.2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

इसी क्रम में दिनांक 26.03.2026 को थाना पुवायाँ पुलिस द्वारा अभियुक्त सन्तोष पाठक पुत्र श्री स्व0 चन्द्रिका पाठक नि0 म0नं0 566/538 जयप्रकाश नगर आलमबाग थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ स्थायी नि0 ग्राम नगवा (पिपरिया) थाना दूबहड जनपद बलिया को मुखबिर की सूचना पर डी0पी0एस0 स्कूल पुवायाँ से समय 17.12 बजे गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

सन्तोष पाठक पुत्र श्री स्व0 चन्द्रिका पाठक उम्र करीब 51 वर्ष नि0 ग्राम नगवां (पिपरिया) थाना दूबहड जनपद बलिया हाल निवासी नि0 म0नं0 566/538 जयप्रकाश नगर आलमबाग थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः-

डी0पी0एस0 स्कूल पुवायाँ, दिनांक 26.03.2026, समय 17.12 बजे

पंजीकृत अभियोगः–

मु0अ0सं0 862/24 धारा 420/467/468/471/120बी भा0द0वि0 थाना पुवायां जनपद शाहजहाँपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. व0उ0नि0 श्री राकेश सिंह थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
2. का0 414 पूरनपाल थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर